न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

क्रमांक/वि.अ./10/14/अजमेर

विभागीय अपील द्वारा श्री विजय कुमार शर्मा तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत राजगढ़, पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर विरूद्ध आदेश जिला स्थापना समिति अजमेर की बैठक दिनांक 9–4–2013 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–05–2013 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– 1. श्री विजय कुमार शर्मा तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत राजगढ़, पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर।
2. श्री लेखू मंघानी, अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांकः–25.4.18

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला स्थापना समिति अजमेर की बैठक दिनांक 9–4–2013 की पालना में पारित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर के आदेश दिनांक 23–05–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 29.9.2009 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

यह कि आप श्री विजय कुमार शर्मा, ग्राम सेवक एवं पेदन सचिव के पद पर दिनांक 11–12–2007 को ग्राम पंचायत राजगढ़ पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर में पदस्थापित थे।

आपने अपने पदस्थापन कार्यकाल के दौरान दिनांक 11–12–2007 को ग्राम पंचायत भवन राजगढ़ में आपने श्री उगम सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी ग्राम सरदारपुरा ग्राम पंचायत राजगढ़ को उनके मकान का पट्टा संख्या 79 बुक संख्या 55 दिनांक 21–4–2007 को देने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क 1260/– रूपये प्राप्त किये। **ग्राम पंचायत की रसीद बुक आपके घर पर रखे होने के कारण आपने प्राप्त की गई राशि की रसीद** श्री उगम सिंह को नहीं दी। नियमानुसार पट्टा शुल्क प्राप्ति के समय रसीद बुक आपके पास ग्राम पंचायत कार्यालय में होनी चाहिए थी।

इस प्रकार आप द्वारा ग्राम पंचायत की रसीद बुकों को ग्राम पंचायत के कार्यालय में न रख कर अपने निवास पर रखकर अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही की है जो फर्द बरामदगी दिनांक 11.12.2007 व फर्द खाना तलाशी दिनांक 11.12.2007 एवं गवाहान के कथनों से प्रमाणित है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 29–10–2009 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर ने अपीलान्ट की सुनवाई नहीं की और जिला स्थापना समिति अजमेर की बैठक दिनांक 9–4–2013 में लिये गये निर्णय अनुसार आदेश दिनांक 23–5–2013 पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए अपीलांट को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलान्ट व उनके अभिभाषक को सुना गया इनका कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा जिला स्थापना समिति अजमेर की बैठक दिनांक 9–4–2013 में लिये गये निर्णय अनुसार पारित आदेश दिनांक 23–5–2013 सीसीए नियमों के नियम 17(4) के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट ने निर्धारित अवधि में आरोपों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अपीलांट का प्रकरण जिला स्थापना समिति की बैठक में रखने का निर्णय लिया। जिला स्थापना समिति की दिनांक 9–4–2013 को बैठक में प्रस्ताव संख्या 3 (3) पारित किया गया जिसमें अपीलांट की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय की अनुपालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, अजमेर ने दिनांक 23–5–2013 को आदेश पारित कर अपीलांट की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्डादेश पारित कर दिया।

उनका यह भी कथन है कि अपीलांट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए दण्डित किया गया है। नियम 17 (4) में दण्ड देने से पूर्व अपचारी कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने की व्याख्या की गई है किन्तु अपीलांट को जिला स्थापना समिति अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय ने डॉ. किशन सिंह बनाम राजस्थान सरकार 1965 RLW पृष्ठ संख्या 153 व कु0 हीरा रूपचन्दानी बनाम सरकार 1984 WLN (UC) पृष्ठ संख्या 73 में प्रतिपादित सिद्धान्तों में उल्लेखित किया है कि न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने पर दण्डादेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत मानकर दण्ड को निरस्त किया है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलांट ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत है जो कि पंचायत समिति के अधीन है और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 के अधीन सेवा में संवर्गीकृत पदों में आते है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 299 के तहत छोटी शास्ति देने के लिए विकास अधिकारी सक्षम है। इसके उपरान्त भी अपीलांट को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दण्डित किया गया है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीसांगन ने नियम 299 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलांट के विरूद्ध आरोप लगाकर एक ज्ञापन संख्या 3057 दिनांक 11–3–2008 जारी किया जिसमें नियम 17 के तहत कार्यवाही के दौरान दिनांक 19–3–2009 को आदेश पारित कर अपीलांट को दोष मुक्त कर दिया अब उन्हीं आरोपों के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अजमेर ने वहीं आरोप लगाकर उस आरोप को प्रमाणित मानकर अपीलांट की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार एक बार आरोप प्रमाणित नहीं होने पर अपीलांट को दोषमुक्त किये जाने के बाद उन्हीं आरोपों के लिए अपीलांट के विरूद्ध पुनः विभागीय जांच प्रारम्भ नहीं

की जा सकती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, द्वारा पारित आदेश क्षैत्राधिकारी विहीन होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित आरोप पत्र अस्पष्ट व अपूर्ण है आरोपों के अन्त में अंकित किया है किगवाहों के कथनों से आरोप प्रमाणित है। इसके बाद नियम 17 की प्रक्रिया की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार दण्डादेश पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलांट के विरूद्ध केवल मात्र यह आरोप है कि उसने ग्राम पंचायत की रसीद बुके ग्राम पंचायत कार्यालय में नहीं रखकर अपने निवास पर रखकर लापरवाही बरती है इस बारे में अपीलांट का निवेदन है कि विकास अधिकारी के आदेश क्रमांक 1092–97 दिनांक 22–2–2007 के द्वारा मुझे राजगढ़ पंचायत समिति का अतिरिक्त चार्ज दिया गया था। कार्य की अधिकता व नरेगा योजना का शुरूआती चरण होने के कारण व समय पर कार्य पूर्ण करने की इच्छा के कारण रिकार्ड धर पर ले गया था। विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीसांगन ने आदेश क्रमांक 1092–1097 दिनांक 22–7–2007 के द्वारा अपीलांट को ग्राम पंचायत राजगढ़ का अतिरिक्त कार्य दिया गया था। इस प्रकार दो ग्राम पंचायतों का चार्ज होने से कार्य का भार अधिक हो गया था। विकास अधिकारी ने आदेश क्रमांक 561 दिनांक 1–12–2007 जारी कर 7–12–2007 व 8–12–2007 को स्थानीय निधि अंकेक्षण की ऑडिट होने के कारण रिकार्ड तैयार करने के निर्देश दिये गये थे। विकास अधिकारी ने पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 10–2–2009 के निर्णयानुसार मुझे दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 9–4–2013 में पारित प्रस्ताव संख्या 3(3) व उसकी अनुपालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 23–5–2013 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

श्री विजय कुमार शर्मा तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत राजगढ़, पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर द्वारा प्रेषित अपील पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 9866 दिनांक 5–8–2014 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 11367 दिनांक 25–8–2014 टिप्पणी प्रस्तुत कर कथन किया है कि श्री विजय कुमार शर्मा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत राजगढ़, पंचायत समिति पीसांगन के द्वारा ग्राम पंचायत राजगढ़ का सरकारी रेकार्ड घर पर रखे जाने के कारण पुलिस अधीक्षक प्रथम भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरों राजस्थान जयपुर में दर्ज

प्रकरण संख्या 322/2007 के द्वारा प्रकरण जिला परिषद्, अजमेर को संबंधित ग्राम सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भिजवाया गया । जिला परिष्द् के द्वारा संबंधित ग्राम सेवक के विरूद्ध सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया एवं संबंधित ग्राम सेवक के द्वारा कार्यालय को आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 9–4–2013 में रखे जाने पर श्री विजय कुमार शर्मा ग्राम सेवक को सरकारी रेकार्ड घर पर रखे जाने का दोषी माने जाने के कारण निर्णय संख्या 3 (3) के द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः उक्त निर्णय की पालना में श्री विजय कुमार शर्मा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत राजगढ़ को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से तत्काल प्रभाव से रोके जाने के आदेश जारी किये गये।

मैंने अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत श्री विजय कुमार शर्मा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत राजगढ़ को ग्राम पंचायत राजगढ़ का सरकारी रेकार्ड घर पर रखे जाने के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से तत्काल प्रभाव से रोके जाने के आदेश जारी किये गये जबकि अपीलांट के पास दो ग्राम पंचायतों का चार्ज होने एवं कार्य की अधिकता होने के कारण सरपंच से अनुमति लेकर रेकार्ड धर पर ले जाकर कार्य पूर्ण करने का उल्लेख किया है। अपीलांट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान न्यायाधीश डेजिग्नेटेड कोर्ट, अजमेर द्वारा अपीलांट के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक प्रथम भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के दर्ज प्रकरण संख्या 322/2007 में न्यायालय द्वारा एफ.आर. संख्या 29/08 स्वीकार कर प्रकरण समाप्त किया जा चुका है। इसके साथ ही अपीलांट के विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोप के संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर के कार्यालय आदेश क्रमांक 3810–13 दिनांक 19–3–2009 द्वारा अपीलांट श्री विजय कुमार शर्मा को दोषमुक्त भी किया जा चुका है फिर भी जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 9–4–2013 में प्रस्ताव संख्या 3(3) पारित कर अपीलांट को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय लिया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा दण्डादेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जबकि रेकार्ड घर पर रखने के आरोपों के संबंध में अपीलांट को पूर्व में विकास

अधिकारी, पीसांगन द्वारा दोष मुक्त किया जा चुका है तो पुनः उसी आरोप के संबंध में अपीलांट को दण्डादेश दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य एवं तथ्यों को नजरअन्दाज कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा अपीलांट की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतएव ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 23–5–2013 विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला स्थापना समिति अजमेर की बैठक दिनांक 9–4–2013 की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर का आदेश क्रमांक जिपअ/संस्थापन/डीईसी/013/4160–62 दिनांक 23–5–2013 निरस्त किया जाता है। अपीलांट को भविष्य में सतर्कता से कार्य करने की हिदायत दी जाती है । निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

(हनुमान सहाय मीना),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर